नकल अधिप्रमाणित 14-3-12 [illegible]
प्राप्त [illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी सफीपुर उन्नाव ।
वाद संख्या-2
अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0।
ग्राम हसनपुर मजरा परगना बांगरमऊ तहसील सफीपुर जिला उन्नाव ।

राधाकृष्ण महाविद्यालय हसनापुर द्वारा राधाकृष्ण विकास फाउण्डेशन हसनापुर प्रबंधक विकास कटियार

बनाम

उ0 प्र0 सरकार आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद राधाकृष्ण महाविद्यालयहसनापुर-द्वारा विकास फाउण्डेशन हसनापुर प्रबंधक विकास कटियार पुत्र चन्द्रसेन निवासी हसनपुर मजरा परगना बांगरमऊ तहसील सफीपुर द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत भूमि संख्या 521/1 रकबा 1.021 हे0 स्थित ग्राम हसनपुर मजरा को अकृषक/औद्योगिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है जिस पर तहसीलदार सफीपुर से जांच आख्या चाही गई।तहसीलदार सफीपुर द्वारा जांच आख्या मय नजरी नक्शा के दिनांक 2-3-12 को को प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया है कि भूमि संख्या 521/1 रकबा 1.021 हे0 पर मोरंग ईंट जमा है मौके पर भूमि खाली पड़ी है जो विद्यालय के प्रयोग हेतु क्रय की गई हैभूमि पर कुक्कुटपालन ,बागवानी आदि का कार्य नहा हो रहा है उक्त भूमि को अकृषिक एवं औद्योगिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध आख्या एवं साक्ष्यों को अवलोकन एवे परिशीलन किया जिससे स्पष्ट है कि भूमि विद्यालय के नाम से क्रय की गई है जिस पर मोरंग ईंट विद्यालय के निर्माण कराने हेतु जमा है साथ में नजरी नक्शा साथ में संलग्न है भूमि संक्रमणीय भूमिधर विद्यालय के नाम अंकित है कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है ऐसी दशा में उक्त भूमि को अकृषिक/ औद्योगिक घोषित किये जाने योग्य पाता हूं ।

आदेश

ग्राम हसनपुर मजरा परगना बांगरमऊ तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की खतौनी वर्ष 1417 से 1422 फ0 के खाता संख्या 50 पर अंकित भूमि 521/1 रकबा 1.021 हे0 भू0रा0 13=60 रु0 पर अंकित राधाकृष्ण महाविद्यालय हसनापुर द्वारा राधाकृष्ण विकास फाउण्डेशन हसनापुर प्रबंधक डा0 विकास कटियार पुत्र चन्द्रसेन कटियार निवासी हसनपुर मजरा परगना बांगरमऊ को अकृषिक/ औद्योगिक घोषित किया जाता है। इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार सफीपुर को अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु भेजी जाये । एक प्रति उपनिबंधक सफीपुर को अभिलेखों में सुरक्षित किये जाने हेतु भेजी जाये । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दि0 14-3-2012

[signature] 14/3/12

उपजिलाधिकारी सफीपुर
उन्नाव

14/3/2012

[illegible] 40
12
20-3-12
20-3-12
20-3-12

[signature] 20-3-12